राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2)/बोम–31 (विशेष)/2018/ 1869–88 दिनांकः–04.05.2018

प्रो. एन.पी. कौशिक, कुलपति,राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **श्री मुकेश कुमार शर्मा**, (आई.ए.एस), अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त), वित्त विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर/**डा0 सुबोध अग्रवाल** (आई.ए.एस), अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर/ **श्री डी.एस.यादव**, निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, डब्ल्यू–6 रेजिडेंसी रोड,जोधपुर। **श्री सी.डी. प्रसाद,** एसोसिएट प्रोफेसर,, सिविल इंजीनियरिंग विभार्ग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **डॉ. एस.डी.पुरोहित,** एसोसिएट प्रोफेसर, एच.ई.ए.एस. विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **प्रो. अनिल के0 माथुर,** प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **डॉ0 आभा जैन**, कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **संभागीय आयुक्त महोदय,** कोटा संभाग, कोटा/ **श्री संत कुमार चौधरी** "वेद निवास" 141, सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली/**श्री रवि जूनिवाल**, मानद सचिव, अपेक्स ग्रुप आफ इन्सटीटयूशन, 4 ख 18 जवाहर नगर, जयपुर/ **प्रो. एन.के. जोशी,** प्रोफेसर, मोदी इंस्टीटयूट् आफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलोजी, दादाबाडी, कोटा/ **प्रो. अखिल रंजन गर्ग,** प्रोफेसर, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग, एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर,/ **प्रो. एम..के.श्रीमाली,** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष NCDMM, मालवीय राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर/ **डॉ.ओम प्रकाश शर्मा**, निदेशक, पूर्णिमा इंजी. कौलेज, जयपुर/ **श्री प्रताप सिंह सिंघवी,** माननीय विधायक, छबडा (बारां) 1, सिविल लाईन्स, राज भवन रोड, जयपुर/ **श्री रामचन्द्र सुनारीवाल,** माननीय विधायक, डग (झालवाड) 8/15, विधायक नगर (पूर्व), जयपुर/ **प्रो. राजीव गुप्ता,** प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा।/श्री टी.पी. मीणा मुख्य लेखा अधिकारी सी.ए.डी. कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 31वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण

महोदय,

निर्देशानुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 31वीं विशेष बैठक दिनांक 03.05.2018 (गुरूवार) को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी कर आपको प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीया

(डा0 आभा जैन)
कुलसचिव एंव
सदस्य सचिव, प्रबन्ध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	31वी विशेष (इकत्तीसवीं विशेष)
स्थान	कुलपति कक्ष, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
दिनांक	03.05.2018
समय	प्रातः 12.15 बजे

दिनांक 03.05.2018 को कुलपति सचिवालय के सभा कक्ष में आहूत की गई 31वीं प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण। बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहेः–

1. प्रो. एन.पी. कौशिक,
2. प्रो. राजीव गुप्ता
3. श्री टी.पी. मीणा
4. प्रो. अनिल के माथुर
5. प्रो. एम.के. श्रीमाली
6. डा. एन.के. जोशी
7. प्रो. अखिल रंजन गर्ग
8. प्रो. पी.के. शर्मा
9. श्री सी.डी. प्रसाद
10. डा. एस.डी. पुरोहित
11. डा. आभा जैन,

निम्नांकित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

1. डा. सुबोध अग्रवाल
2. श्री प्रताप सिंह सिंघवी
3. श्री राम चन्द्र सुनारीवाल
4. डा. रवि जूनिवाल
5. श्री संत कुमार चौधरी
6. डा. ओ. पी. शर्मा

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया।

प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक के प्रयोजन हेतु दोनो एजेण्डों के संबंध में व्यवस्था प्रश्न (Point of Order) उठाए। प्रबंध मण्डल के अध्यक्ष व माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 25.4.2018 को विधानसभा में जनलेखा समिति की बैठक में विश्वविद्यालय को दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रबंध मण्डल के बिन्दु संख्या 31.1 के एजेण्डा अशैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती पदोन्नति हेतु बनाये गये स्टेटयूटस को रखने की आवश्यकता को बताया।

इसी प्रकार प्रबंध मण्डल के एजेण्डा बिन्दु संख्या 31.2 के व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के सीएएस 2015 के आदेशों की शिकायतों पर जांच के क्रम में राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक 26.4.2018 को प्राप्त जांच रिपोर्ट को प्रबंध मण्डल के समक्ष अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता को बताया गया।

इसके अतिरिक्त राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रबंध मण्डल की नियमित बैठक एवं विशेष बैठक के आयोजन की विधिक प्रावधान पर भी चर्चा की गई। माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह बताया गया कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 12 (3) के तहत विश्वविद्यालय हित में प्रबंधमण्डल की बैठकें आयोजित की जाती है तथा राजस्थान विश्वविद्यालय की हेण्ड बुक में पार्ट–2 वोल्यूम–1, सी–खण्ड में ओर्डिनेंस 34 पर अंकित प्रावधानों के अनुसार विशेष बैठक का प्रावधानों के आधार पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में भी आवश्यकता होने पर आयोजन किया जा सकता है।

इस पर माननीय सदस्यों की सहमति के उपरान्त प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर चर्चा आरम्भ की गई।

प्र.म. (वि) 31.1 **विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती एवं पदौन्नति हेतु बनाये गये स्टेट्यूट के अनुमोदन हेतु।**

प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक के संकल्प संख्या 29.05 की अनुपालना में विश्वविद्यालय मे आदेश संख्या एफ(2) डीए–5/रूल्स/वोल्यूम–1/2018/18697–702 दिनांक 09–05–2017 के अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा अशैक्षणिक कर्मचारियों के सीधी भर्ती एवं पदौन्नति हेतु स्टेट्यूट प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक में एजेण्डा संख्या 29.5 पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए थे। संकल्प संख्या 29.5 की पालना में उक्त गठित समिति की आहूत बैठक दिनांक 28.03.2018 के क्रम में दिनांक 02 अप्रेल, 2018 को ई–मेल द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों को उक्त स्टेट्यूट्स के सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव दिनांक 07 अप्रेल, 2018 तक प्रेषित किए जाने हेतु कुलसचिव द्वारा आंमत्रित किए गए थे। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 28–04–2018, ई–मेल दिनांक 02 अप्रेल, 2018 की प्रतियॉ संलग्न है। **(अनुलग्नक 31.1.1 पृष्ठ1–2)**

प्रो0 पी0के0 शर्मा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा एवं सदस्य, प्रबन्ध मण्डल से प्राप्त सुझाव गठित समिति की बैठक दिनांक 28–04–2018 को प्रस्तुत किए गए। उपरोक्तानुार संशोधित स्टेट्यूट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक 31.1.2 पृष्ठ 3–36)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्पः **माननीय सदस्यों द्वारा परिनियमों के अनुमोदन हेतु इसे प्रबंध मण्डल की नियमित बैठक में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। अतः विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के स्टेटयूटस को संशोधन करते हुए आगामी प्रबंध मण्डल की नियमित बैठक में पुनः रखने का निर्णय किया गया।**

प्र.म. (वि) 31.2 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में जुलाई 2015 में 5वे एवं 6ठे वेतन आयोग के अनुसार सी.ए.एस. के अन्तर्गत की गई पदोन्नतियों के संबंध में अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर प्राप्त जांच रिपोर्ट की पालना बाबत।**

दिनांक 15.07.2015 को आयोजित 24वीं प्रबंध मंडल की बैठक के बिन्दु संख्या–24.7 के संकल्प की पालना में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सी.ए.एस पदोन्नति के आदेश जारी किये गयें थे। लेकिन इन आदेशों के संबंध में राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त होने के कारण इन आदेशों की कियान्विती में वित्तीय परिलाभ प्रदान नहीं किये गयें ।

उक्त पदोन्नतियों के संबंध में राज्य सरकार को प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जॉच राज्य सरकार के स्तर पर गठित जॉच समिति द्वारा की गई । उक्त समिति की जॉच रिपोर्ट राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक एफ.22 (7)/त.शि./2009 पार्ट दिनांक 26.04.2018 के माध्यम विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है । **(अनुलग्नक 31.2.1 पृष्ठ 37–56)**

उक्त जॉच समिति की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं । अतः शिक्षकों को सी.ए.एस. का परिलाभ देने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । **(अनुलग्नक 31.2.2 पृष्ठ 57–74)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्पः **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में जुलाई 2015 में 5वे एवं 6ठे वेतन आयोग के अनुसार सी.ए.एस. के अन्तर्गत की गई पदोन्नतियों के संबंध में अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक एफ.22 (7)/त.शि./2009 पार्ट दिनांक 26.04.2018 के माध्यम से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अंकित कुछ प्रकरणों पर माननीय प्रबंध मण्डल के सदस्यों के भिन्न मत आये। अतः उक्त रिपोर्ट पर विस्तृत अवलोकन (observations) विवरण तैयार करने हेतु एक समिति गठित किये जाने का निर्णय किया गया। इस समिति में प्रबंध मण्डल में उपस्थित सदस्यों में से निम्नांकित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया गयाः–**

1. प्रो. अनिल के. माथुर, रा.त.वि., कोटा – संयोजक
2. प्रो. अखिल रंजन गर्ग, एम.बी.एम. जोधपुर सदस्य
3. श्री एन. के. जोशी, एम.आई.टी., दादाबाडी, कोटा सदस्य
4. कुलसचिव, रा.त.वि., कोटा सदस्य सचिव

यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समिति दिनांक 30.5.2018 अथवा निर्धारित तिथि तक अपनी रिपोर्ट मय भिन्नता तथा प्रस्तावित कार्यवाही के आधार सहित प्रस्तुत करेगी जिसे आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु प्रबंध मण्डल के समस्त सदस्यो द्वारा उपरोक्त समिति के संयोजक को आगामी 7 दिवस में अपने अपने सुझाव देने की सहमति भी व्यक्त की गई। प्राप्त सुझावों को समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखेगी।

तब तक प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा यह निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार को इस हेतु सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जावे कि फिलहाल राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 26.4.2018 में वर्णित अनुशंसाओं का क्रियान्वयन आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक के निर्णयों तक विचाराधीन रखा गया है।

(प्रो. एन.पी. कौशिक)
कुलपति एवं
अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल

(डा. आभा जैन)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव, प्रबंध मण्डल